राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2005–2006

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2005 – 2006

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 1.5.85 से संविधान की धारा 323 बी के प्रावधानों के अन्तर्गत विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित वादों का शीध्रतम निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि गतिशील विक्रय कर विधान की सुसंगत व्याख्या की जा सके। इस अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) विक्रय कर विभाग के विरूद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में हो सकती थी। दिनांक 1.10.1995 से इस अधिकरण का नाम परिवर्तन कर राजस्थान कर बोर्ड कर दिया गया। अब यह "राजस्थान कर बोर्ड" के नाम से ज्ञापित है।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को "चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी" घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफ्रेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। यह संशोधन दिनांक 24.3.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित लगभग 1800 निगरानी राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित हुई है। जिनकी सुनवाई एवं निस्तारण कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा नियमित की जा रही है।

बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। अध्यक्ष, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के (राज्य के प्रमुख शासन सचिव के समकक्ष) स्तर का अधिकारी होता है। बोर्ड के सदस्यों को राजस्व मण्डल के सदस्यों का स्तर प्रदान किया गया है। उन्हें वही मासिक वेतन एवं भत्ते देय हैं जो राजस्व मण्डल, राजस्थान के सदस्य का पद धारण करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों तथा राज्य के शासन सचिवों को अनुज्ञात है।

कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री उमराव सालोदिया	अध्यक्ष	17.12.2005 से निरन्तर
2.	श्री जे. एल. मोदी	सदस्य	24.09.2005 से निरन्तर
3.	श्री विपिन भटनागर	सदस्य	09.06.2004 से निरन्तर
4.	श्री आर. सी. जैन	सदस्य	19.06.2004 से निरन्तर
5.	.....	सदस्य	01.01.2006 से रिक्त
6.	श्रीमती इलोरा बागची	रजिस्ट्रार	23.09.2004 से निरन्तर
7.	श्रीमती मेघना चौधरी	सहा. रजिस्ट्रार	16.08.2003 से निरन्तर

कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

सहायक रजिस्ट्रार का पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग का है इस पद पर दिनांक 11.7.94 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी कार्यरत हैं।

बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था संचालन हेतु निम्न प्रकार से पदों का सृजन किया गया है :–

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष	1	1	–
2.	सदस्य	4	3	1
3.	रजिस्ट्रार	1	1	–
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	–
5.	सहायक लेखाधिकारी	1	1	–
6.	निजी सचिव	2	2	–
7.	निजी सहायक	1	1	–
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	–
10.	कार्यालय अधीक्षक	1	1	–
11.	कार्यालय सहायक	2	2	–
12.	वरिष्ठ लिपिक	6	6	–
13.	कनिष्ठ लिपिक	12	12	–
14.	वाहन चालक	4	4	–
15.	जमादार	1	1	–
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	13	–
17.	प्रोसेस सरवर	3	3	–

वर्ष 2005–06 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन	दिसम्बर 2005 तक व्यय
1.	संवेतन	90,00,000	72,12,961
2.	यात्रा भत्ता	2,50,000	1,97,740
3.	चिकित्सा व्यय	2,00,000	1,45,035
4.	वाहन संधारण	2,50,000	2,96,256
5.	कार्यालय व्यय	13,25,000	10,53,828
6.	लेखन सामग्री	50,000	26,944
7.	मुद्रण	40,000	30,285
8.	पुस्तकालय	1,25,000	49,739
9.	वाहन क्रय	4,50,000	4,45,215
10	वाहन किराया	1,15,000	70,300

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय बैंचों एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 6,081 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प) वादों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वाद	2003	2004	2005
1.	बकाया वाद	2,789	1,440	1,549
2.	दायर वाद	1,732	1,765	4,615
3.	निस्तारित वाद	3,081	1,656	1,886
4.	शेष वाद	1,440	1,549	4,278

कर बोर्ड में विचाराधीन वादों की सुनवाई एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किए जाने का प्रावधान है। जिन वादों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवाई एकलपीठ एवं जिनवादों में यह राशि पांच लाख से अधिक है उन वादों की सुनवाई खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु वृहद् खण्डपीठ को निर्णय हेतु रेफर किया जाता है।

वर्ष दिसम्बर, 2005 तक एस.बी/डी.बी. द्वारा सुने जाने वाले विचाराधीन वादों की शेष संख्या निम्न प्रकार है : (दिसम्बर 2005 तक शेष)

(1) एस. बी. 3,889

(2) डी. बी. 389

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में योजना भवन में लगाई जाती है। जिसमें मुख्यतः अलवर, बांरा, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझंनु, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक जिले के वादों की सुनवाई की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं अपीलार्थीयों की सुविधा हेतु जोधपुर मे भी राज्य सरकार की अनुमति से त्रैमासिक रूप से एक सप्ताह के लिए एकलपीठ आयोजित की जा रही है।

बोर्ड में विचाराधीन वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की गई है :–

(1) जिन वादों में बैंच द्वारा राशि की वसूली के संबंध में स्थगन आदेश दिए हुए हैं। ऐसे वादों की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाकर निस्तारण किया जाता है।
(2) पुराने वादों को सनुवाई हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियत किया जा रहा है।
(3) बोर्ड में विचाराधीन परिशोधन प्रार्थना पत्रों की सुनवाई बैंच के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।
(4) बैंचों द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जाते हैं उन निर्णयों को रिपोर्टिंग योग्य मार्क किया जाता हैं। उनमें विवादास्पद बिन्दु एवं उस पर दिये गये निर्णयों से बोर्ड की दूसरी बैंचों को भी उनकी जानकारी कराई जाती है। ताकि निर्णयों में एकरूपता कायम रह सकें।
(5) स्टाम्प से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई मुख्यालय पर नियमित रूप से एक पृथक एकलपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।